न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 64/2021

खिराज पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा — **सायल**

बनाम

1. रामपत पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
2. मनफुल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
4. गौरादेवी पुत्री रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री प्रभु गोदारा- **सायल**

वकील श्री राजेन्द्र गोयल - **गैरसायलान**

निर्णय **दिनांक :** 20.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा राखी के खाता सं0 91/86 के खसरा सं0 26/1 की 0.506है0, खसरा सं0 90/1 की 2.909है0, खसरा सं0 143 की 3.8320है0, खसरा सं0 217 की 2.605है0, खसरा सं0 241/1 की 0.253है0 की कुल 10.1050है0 वारानी खातेदारी कृषि भूमि गैरसायल सं0 1 रामपत पुत्र लाधूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पहले सायल के दादा लाधूराम के नाम थी जो विरासतन गैरसायल सं0 1 रामपत के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण वादभूमि गैरसायल सं0 1 रामपत के नाम दर्ज हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि सांयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें सायल व गैरसालय सं0 1 ता 4 का भी जन्म से हक व अधिकार है। गैरसालय सं0 1 रामपत के दो पुत्र खिराज व मनफुल तथा दो पुत्रियां सावित्री व गौरादेवी का भी जन्म से हक व अधिकार है।

वाद भूमि गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज रहने से गैरसायल सं0 1 वाद भूमि को वहकावे में आकर के रहन बैय या मुन्तकिल करने पर आमादा है। गैरसायलान सायल को अपने हक व हिस्सा से वंचित करने की कोशिश में है अगर वह ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः सायल गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन बैय या मुन्तकिल नही करे तथा वाद भूमि को किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के रहन रखकर ऋण प्राप्त नहीं करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम राखी में स्थित कृषि भूमि 10.105है0 में सायल का गैरसायल के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। गैरसायल ने अपनी स्वय आय में से धनपत सिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी मोठसरा से गांव डूंगराना की रोही में खसरा नं0 698 में 13 किला 3 बिस्वा, खसरा नं0 713 की 4 किला 17 बिस्वा कुल 18 बीघा कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि दिनांक 07.01.1975 को सायल खिराज के नाम से खरीद कर उसे दे रखी है तथा शमा बेवा बालू जाट निवासी मोठसरा से डूंगराना की रोही में खसरा नं0 698 की आधा किला, खसरा सं0 713 की एक किला कुल 1 किला 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा गैरसायल रामपत ने अपनी स्वयं कमाई से खरीद कर सायल को दे रखी है। रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 142/211 में से 10 हिस्सा यानि आधा किला भूमि में से 1/2 हिस्सा दिनांक 29.06.1985 को सायल के नाम से खरीद कर उसे दे रखी है। गांव डूंगराना की रोही में खसरा नं0 698 व खसरा नं0 211/215 व खसरा नं0 713 में 35 हिस्सा भूमि धनपत पुत्र शमा से खरीद कर सायल को दे रखी है जिस पर वह काबिज है। सायल

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि लेकर गैरसायल रामपत के परिवार से अलग हो गया है। गैर सायल रामपत द्वारा सायल को जब कृषि भूमि खरीद कर दी गई तब उसकी आयु महज 5–6 वर्ष थी जिसमें सारा खर्चा गैरसायल रामपत ने ही लगाया था। सायल द्वारा वाद पत्र में गैरसायल सं0 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा खिराज व मनफुल के पक्ष में परिणाम कर शून्य नहीं किया है। सायल द्वारा वाद पत्र में गैरसायल सं0 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा खिराज व मनफुल के पक्ष में तर्क करने का कथन झुठा दर्ज किया है। सायल को गैरसायल रामपत के नाम दर्ज कृषि भूमि के संबंध वाद दायर करने का कोई कानूनी हक नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सम्पति दादालाई है। रोही मौजा राखी के खाता सं0 91/86 के खसरा सं0 26/1 की 0.506है0, खसरा सं0 90/1 की 2.909है0, खसरा सं0 143 की 3.8320है0, खसरा सं0 217 की 2.605है0, खसरा सं0 241/1 की 0.253है0 की कुल 10.1050है0 मासनी खातेदारी कृषि भूमि गैरसायल सं0 1 रामपत पुत्र लाधूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि गैरसायल सं0 1 रामपत को उसके पिता लाधूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार पैतृक कृषि भूमि में रामपत के सभी वारिसान का जन्म से हक व अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 सम्पति को रहन बैय करने की फिराक में है मूल वाद के निर्णय तक स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम राखी में स्थित कृषि भूमि 10.105है0 में सायल का गैरसायल के जीवनकाल मे कोई हक हिस्सा नही बनता है। गैरसायल ने अपनी स्वय आय में से गांव डूगराना की रोही में खसरा नं0 698, 713 में कृषि भूमि खरीद कर सायल को दे रखी है जिस पर वह काबिज है। सायल उक्त कृषि भूमि लेकर गैरसायल रामपत के परिवार से अलग हो गया है। गैर सायल रामपत द्वारा सायल को जब कृषि भूमि खरीद कर दी गई तब उसकी आयु महज 5–6 वर्ष थी जिसमें सारा खर्चा गैरसायल रामपत ने ही लगाया था। सायल द्वारा वाद पत्र में गैरसायल सं0 3 व 4 द्वारा अपना हिस्सा खिराज व मनफुल के पक्ष में तर्क करने का कथन झुठा दर्ज किया है। सायल को गैरसायल रामपत के नाम दर्ज कृषि भूमि के संबंध वाद दायर करने का कोई कानूनी हक नहीं है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहरा पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एव सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 प्रथम दृष्टया मामला :–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजार्थ के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चुंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने रामपत के वारिसा के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। विवादित भूमि रोही राखी के खाता सं0 91 राखी के खाता सं0 91/86 के खसरा सं0 26/1 की 0.506है0, खसरा सं0 90/1 की 2.909है0, खसरा सं0 143 की 3.8320है0, खसरा सं0 217 की 2.605है0, खसरा सं0 241/1 की 0.253है0 की कुल 10.1050है0 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थी का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। सायल व गैरसायल सं0 1 ता 4 का भी वादभूमि में हक हिस्सा है। अतः प्रथम दृष्टया सायल का वादपत्र साबित है।

2 सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही। चुकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि वादभूमि पैतृक व दादालाई है जिसमे सायल व गैरसायलान को भी अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी आंशिक तौर पर प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है चूंकि दावाधिन सम्पति में गैरसायल रामपत का भी हक एवं हिस्सा है। ऐसे में गैरसायल रामपत अपने हक हिस्सा की भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में सुविधा का संतुलन सायल व गैरसायल रामपत दोनों के पक्ष में साबित होता है।

Scanned with CamScanner

3. **अपूर्णीय क्षति** :– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी/वादी ने उक्त विवादित भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 कुल भूमि को रहन, बैय व हस्तांतरित कर सकता है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 4 को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। यदि कुल वादभूमि पर व्यादेश दिया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग संबंधि अधिकारों से वंचित रह सकता है। चूंकि गैरसायल रामपत का वादभूमि में 1/5 हिस्सा बनता है ऐसे में गैरसायल रामपत को यदि सम्पूर्ण भूमि की बाबत रहन, बैय के लिए पाबन्द कर दिया जाता है तो रामपत को भी अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होने के कारण तथा द्वितीय व तृतीय बिन्दु सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भलीभांति साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही राखी के खाता सं0 91 राखी के खाता सं0 91/86 के खसरा सं0 26/1 की 0.506है0, खसरा सं0 90/1 की 2.909है0, खसरा सं0 143 की 3.8320है0, खसरा सं0 217 की 2.605है0, खसरा सं0 241/1 की 0.253है0 की कुल 10.1050है0 वारानी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 रामपत को ताफैसला वाद पावन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि को रहन, बैय न करे। अर्थात् गैरसायल रामपत वादभूमि में अपने 1/5 हिस्सा की हद तक किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाकर रहन करवाने की हद तक स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner